संख्याः07/2025/60/35-4-2025/35-4099/117/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 28 जनवरी, 2025

विषय: जनपद- बलरामपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक, के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-15/2020/254/35-4-2020, दिनांक 17.02.2020 द्वारा राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर के भवन निर्माण हेतु रू0 1803.97 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। शासनादेश संख्या-13/2021/166/35-4-2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 270.60 लाख, शासनादेश संख्या-91/2022/243/35-4-2022 दिनांक 22.03.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 674.74 लाख तथा शासनादेश संख्या-459/2022/1722/35-4-2022/001-35-4099/117/2022 दिनांक 26.12.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 568.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 1713.77 लाख निर्गत की जा चुकी है।

शासनादेश संख्या-887/2023/2865/35-4-2023/35-4099/117/2022 दिनांक 22.11.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य की लागत को धनराशि रू0 2029.00 लाख (जी0एस0टी0सहित) पर पुनरीक्षित किया गया है।

2- जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा पत्र सं0-418/त्व0आ0वि0यो0 (2019-20)/ जी0एस0टी0 मांग/2023-24 दिनांक 25.09.2023 एवं पत्र संख्या-529/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से अद्यतन अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए एवं बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए धनराशि रू0 232.84 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित धनराशि	पुनरीक्षित लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अद्यतन अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पालीटेक्निक घुघुलपुर, बलरामपुर का भवन निर्माण कार्य	1803.97 (+GST नियमानुसार देय)	2029.00 (GST सहित)	82.39	1946.61	1713.77	232.84	232.84

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.02.2020, दिनांक 09.02.2021, दिनांक 22.03.2022 दिनांक 26.12.2022 एवं दिनांक 22.11.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 232.84 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02- तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य- 24 वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः07/2025/60(1)/35-4-2025/35-4099/117/2022/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर ।
9. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर ।
11. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर ।
12. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।
15. अपर परियोजना प्रबंधक, बस्ती इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, बलरामपुर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।